

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-15वीं दिसम्बर 2020

सेवा में,

R.K. Construction,

Jatani Ram Garden Phase-2, New Prem Nagar,
Choriya Toli, Latma Road, Singhmore, Hatia.

विषय:- मौजा-हेसाग, प्लॉट नं0-201, खाता नं0-42, वार्ड नं0-50, थाना-नामकुम,
जिला-राँची में प्रस्तावित आवासीय भवन G+2 हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।

उपर्युक्त विषयक ऑन-लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार प्रस्तावित आवासीय भवन हेतु प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, धुर्वा, राँची के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक-124 दिनांक-11.12.2020 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित आवासीय G+2 भवन हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. प्रस्तावित भवन में अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम 25,000 लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ मुख्य स्टेयरकेश लॉबीयों में एक-एक डाउन कमर सिस्टम का संस्थापन कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30 मी0 लम्बा होज रील होज, 63 MM डायामेटर का डिलिवरी आउटलेट तथा एक-एक अदद डिलिवरी होज एवं एक-एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
3. भवन के बेसमेन्ट को स्वचालित स्प्रिंकलर से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो।
4. प्रस्तावित भवन में 900 Lpm क्षमता वाले एक स्वचालित टेरेस पम्प का संस्थापन कराया जाय।
5. इन पम्प को स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
6. मॉनिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे।
7. सेटबैक एरिया NBC मानक के अनुरूप होना चाहिए।
8. सतही तल मुख्य प्रवेश द्वार के पास थ्रीवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
9. Exit & Leading to Exit Way को कभी भी किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय। सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी स्थिति में ट्रेवेल डिस्टेंस 30 मीटर से अधिक नहीं हो।
10. भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसिड इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से ही कराया जाय।
11. मुख्य स्टेयरकेश लॉबी के प्रत्येक तलों पर 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखा जाय।
12. मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Fire Suppression System से सुरक्षित किया जाय।
13. भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
14. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
15. Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाइंट प्रत्येक तल पर प्रत्येक स्टेयरकेश लॉबी में हो।
16. भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।

For R.K. Construction

Partner

17. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से पूर्व एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
18. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जायेंगे।
19. भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
20. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

**BANDHU
ORAON**

Digitally signed by BANDHU ORAON
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME
JAIL AND DISASTER MANAGEMENT, cn=BANDHU ORAON,
serialNumber=bbb8d056bfb786d39b4c8876db8734d26e
c9cfaf87ab115ea2c0348e16ab6005, postalCode=834002,
2.5.4.20=1939424e11492aab22777c7653cba3d3feeb7bfb5
17b044a061986ba64a39d09, st=Jharkhand
Date: 2020.12.15 15:42:06 +05'30'

(बन्धु उराँव)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।

For R.K.Construction
Partner